

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Sentence Suspension Appl. No. 594/2025

IN

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 710/2025

1. Ghamandi S/o Bihari, R/o Gram Aronda P.s. Lakhanpur
Tehsil Nadbai District Bharatpur
2. Bhupendra Singh S/o Ghamandi, R/o Gram Aronda P.s.
Lakhanpur Tehsil Nadbai District Bharatpur
3. Ajay Singh S/o Ghamandi, R/o Gram Aronda P.s.
Lakhanpur Tehsil Nadbai District Bharatpur

-----Appellants

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

-----Respondent

For Appellant(s)	:	Ms. Rekha Arora for Mr. Praveen Kumar Jain
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

20/03/2025

अपीलार्थी-अभियुक्तगण की ओर से धारा 430 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्तगण को धारा 323, 341, 326, 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध एवं दण्डादिष्ट करते हुए अधिकतम तीन वर्ष के साधारण कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्तगण का तर्क है कि अपीलार्थीगण के विरुद्ध झूठा प्रकरण बनाया गया है। उनका यह भी तर्क है कि विचारण के दौरान वे

जमानत पर मुक्त थे और अधीनस्थ न्यायालय से उनकी सजा स्थगित है। अपील के निस्तारण में समय लगना सम्भाव्य है। अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

उभयपक्ष के तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति, बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों एवं अपील में अन्तर्वर्तित महत्वपूर्ण एवं विधिक प्रश्नों के गुणावगुण पर इस प्रक्रम पर कोई टिप्पणी किये बिना, अपील के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना को देखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी-अभियुक्त अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की समस्त राशि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में जमा करवा दें, तो इस पूर्ववर्ती शर्त की पालना के उपरान्त इस न्यायालय में दिनांक **21.04.2025** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का बंधपत्र एवं पचास हजार रुपये की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए एवं विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश, डकैती प्रभावित क्षेत्र, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या-51/2018 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांकित 27.02.2025 के तहत दिये गये **दण्डादेश (sentence)** का क्रियान्वयन कारावास की सीमा तक इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J